महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

दिनांक : 23.07.2020

कोविड–19 के दृष्टिगत परीक्षा एवं परिणाम सम्बन्धी नियमावली (परीक्षा वर्ष–2020)

अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्रांक : 242/स0उ0शि0प0/53/19 दिनांक 16 जुलाई 2020 द्वारा विश्वविद्यालय में सत्र 2019–20 (परीक्षा वर्ष–2020) की अवशेष परीक्षाओं के सम्बन्ध में कोविड–19 के दृष्टिगत प्राप्त दिशा–निर्देशों/सुझावों के आलोक में, विश्वविद्यालय की अपनी परिस्थितियों एवं छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए विश्वविद्यालय परिनियमावली के दृष्टिगत सत्रः 2019–20 के परीक्षाफल जारी करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश/प्रावधान/नियम का प्रारूप बनाये जाने हेतु पत्रांकः **रू.वि./प.नि.का./2020/573–91, दिनांक 21/07/2020** द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 23 जुलाई 2020 को अपरान्ह 12.30 बजे मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गये–

1. यह नियमावली **'कोविड–19 परीक्षा एवं परिणाम नियमावली–2020'** के नाम से जाना जायेगा तथा केवल परीक्षा वर्ष–2020 के लिए लागू होगी।
2. यह नियमावली संस्थागत/व्यक्तिगत/भूतपूर्व परीक्षार्थियों पर लागू होगी।
3. ऐसे प्रकरण जो इस नियमावली में आच्छादित नहीं हैं, उन पर परीक्षा समिति द्वारा यथा समय निर्णय लिया जायेगा।
4. विश्वविद्यालय की वर्ष–2020 की अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं को छोड़कर शेष कक्षाओं की अवशेष परीक्षाओं को स्थगित रहेगी।
5. जिन विषयों/प्रश्नपत्रों की परीक्षाएं (वर्ष–2020) सम्पन्न हो गयी हैं, उनकी उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराकर परीक्षार्थियों के प्राप्तांक परीक्षाफल में सम्मिलित किये जायेगें।
6. (i) (अ) ऐसे छात्र जिनके सभी विषयों/प्रश्नपत्रों की परीक्षाएं (वर्ष–2020) सम्पन्न हो चुकी हैं, उनके परीक्षाफल नियमानुसार घोषित किए जाय।
   (ब) यदि कोई छात्र/छात्रा बैकपेपर के लिए अर्ह है, तो उसे अगले वर्ष/अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जायेगा किन्तु उसे अगले वर्ष की परीक्षा में बैक पेपर पास करना होगा।
   (स) यदि कोई छात्र बैकपेपर के लिए भी अर्ह नहीं है तथा अनुत्तीर्ण है, उन छात्र/छात्राओं को वर्ष–2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जायेगा।
   (ii) ऐसे छात्र जो पूर्व में सम्पादित इस परीक्षा के अपूर्ण परिणाम के आधार पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय के नियमानुसार बैकपेपर के लिए भी अर्ह नहीं है तथा अनुत्तीर्ण हैं उनको वर्ष–2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जायेगा।
7. ऐसे छात्र/छात्राएं जिन्हें इन नियमों के अनुसार औसत अंक प्रदान किए जायेंगे यदि वह इन अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे तो वे वर्ष–2021 की बैकपेपर परीक्षा/वर्ष–2022 की वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा के उन समस्त/किसी भी विषय में सम्मिलित होकर अपने अंकों में सुधार करने के अवसर प्रदान किया जायेगा।
8. **सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत (स्नातक एवं परास्नातक)** अंतिम सेमेस्टर वर्ष–2020 की परीक्षाओं को छोड़कर अवशेष सेमेस्टर की परीक्षाओं का परीक्षाफल छात्र/छात्राओं के विगत (पिछले) सेमेस्टर के उत्तीर्ण प्रश्नपत्रों के प्राप्तांको के औसत अंक के अनुसार घोषित किया जायेगा। परीक्षार्थियों के औसत अंक निर्धारण हेतु सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक विषय/प्रश्नपत्रों/ग्रुपों के अंक अलग–अलग लिए जायेगें।

स्नातक प्रथम वर्ष (वर्ष–2020) (बी0ए0/बी0एस–सी0/बी0एस–सी0 (गृहविज्ञान)/बी0काम0)

1. जिन विषयों/प्रश्नपत्रों की परीक्षाएं सम्पन्न हो गयी हैं उनकी उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराकर छात्र/छात्राओं को उनके प्राप्तांक प्रदान कर दिये जाय।
2. स्नातक प्रथम वर्ष में जिन विषयों/प्रश्नपत्रों की परीक्षा सम्पन्न नहीं हुई है उन विषयों/प्रश्नपत्रों में छात्र/छात्राओं को प्रोन्नत कर दिया जाय। ऐसे विषयों/प्रश्नपत्रों में अभी कोई अंक प्रदान न किये जायें।
3. प्रथम वर्ष के प्रोन्नत होने वाले ऐसे सभी छात्र/छात्राओं द्वारा द्वितीय वर्ष (वर्ष–2021) की परीक्षा में उत्तीर्ण किए गये समस्त सैद्धान्तिक विषयों के प्राप्तांकों के औसत अंक को ही उसके प्रथम वर्ष के अवशेष (जिसमें परीक्षा सम्पन्न नहीं हुई है) विषयों/प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक मानकर प्रथम वर्ष की अंकतालिका तैयार की जायेगी।
4. यदि कोई छात्र वर्ष–2021 में द्वितीय वर्ष में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह आगामी वर्ष की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में नियमानुसार सम्मिलित होगा। परन्तु उसके द्वारा इसी परीक्षा में उत्तीर्ण किए गये समस्त सैद्धान्तिक विषयों के प्राप्तांकों के औसत अंक को उसके प्रथम वर्ष के अवशेष विषय/प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक माने जायेगें।
5. प्रायोगिक विषयों में द्वितीय वर्ष की सम्बन्धित विषय की प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक/उत्तीर्णांक को ही (जो भी अधिक हो) प्रथम वर्ष के लिए भी संगत विषय/प्रश्नपत्र/ग्रुप के प्रायोगिक परीक्षा का प्राप्तांक माना जायेगें।

स्नातक द्वितीय वर्ष (वर्ष–2020) (बी0ए0/बी0एस–सी0/बी0एस–सी0 (गृहविज्ञान/आनर्स)/बी0काम0)

1. जिन विषयों/प्रश्नपत्रों की परीक्षाएं सम्पन्न हो गयी हैं उनकी उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराकर छात्र/छात्राओं को उनके प्राप्तांक प्रदान कर दिये जायें।
2. द्वितीय वर्ष के ऐसे छात्र/छात्राओं जिनके कुछ विषयों/प्रश्नपत्रों की परीक्षा नहीं हो सकी है, उनके अंकपत्र में परीक्षा न होने वाले विषयों/प्रश्नपत्रों के विगत (प्रथम) वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण किए गये समस्त सैद्धान्तिक विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक उसके द्वितीय वर्ष–2020 के अवशेष संगत विषय/प्रश्नपत्रों (जिसमें परीक्षा सम्पन्न नहीं हुई है) का प्राप्तांक माना जायेगा।
3. प्रायोगिक विषयों में प्रथम वर्ष की सम्बन्धित विषय की प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक/उत्तीर्णांक को ही (जो भी अधिक हो) द्वितीय वर्ष के लिए भी संगत विषय/प्रश्नपत्र/ग्रुप के प्रायोगिक परीक्षा का प्राप्तांक माने जायेगें।

स्नातक अंतिम वर्ष (वर्ष–2020) (बी0ए0/बी0एस–सी0/बी0एस–सी0 (गृहविज्ञान/आनर्स)/बी0काम0)

स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं शासन के निर्देशानुसार आयोजित की जायेगी।

सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत (स्नातक एवं परास्नातक)

सेमेस्टर प्रणाली के अन्तर्गत (स्नातक एवं परास्नातक) अंतिम सेमेस्टर, वर्ष–2020 की परीक्षाओं को छोड़कर अवशेष सेमेस्टर की परीक्षाओं का परीक्षाफल छात्र/छात्राओं के विगत (पिछले) सेमेस्टर के उत्तीर्ण प्रश्नपत्रों के प्राप्तांको के औसत अंक के अनुसार घोषित किये जायेंगें। परीक्षार्थियों के औसत अंक निर्धारण हेतु सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक विषय/प्रश्नपत्रों/ग्रुपों के अंक अलग–अलग लिए जायेगें।

बी0एस–सी0 (कृषि) भाग एक वार्षिक परीक्षा वर्ष–2020

1. जिन विषयों/प्रश्नपत्रों की परीक्षाएं सम्पन्न हो गयी हैं उनकी उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराकर छात्र/छात्राओं को उनके प्राप्तांक प्रदान कर दिये जायेंगें।
2. स्नातक प्रथम वर्ष में जिन विषयों/प्रश्नपत्रों की परीक्षा सम्पन्न नहीं हुई है उन विषयों/प्रश्नपत्रों में छात्र/छात्राओं को प्रोन्नत कर दिया जाय। ऐसे प्रश्नपत्रों/विषयों में अभी कोई अंक प्रदान नहीं किया जायेगा।
3. प्रथम वर्ष में प्रोन्नत होने वाले ऐसे सभी छात्र/छात्राओं द्वारा द्वितीय वर्ष (वर्ष–2021) की परीक्षा में उत्तीर्ण किए गये समस्त सैद्धान्तिक विषयों के प्राप्तांकों के औसत अंक को उसके प्रथम वर्ष के अवशेष (जिसमें परीक्षा सम्पन्न नहीं हुई है) विषय/प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक मानकर प्रथम वर्ष की अंकतालिका तैयार की जायेगी।
4. यदि कोई छात्र/छात्रा वर्ष–2021 में द्वितीय वर्ष में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह आगामी वर्ष की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में नियमानुसार सम्मिलित होगा। परन्तु उसके द्वारा इसी परीक्षा में उत्तीर्ण किए गये समस्त सैद्धान्तिक विषयों के प्राप्तांकों के औसत अंक को उसके प्रथम वर्ष के अवशेष विषय/प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक माना जायेगा।
5. प्रायोगिक विषयों/प्रश्नपत्रों/ग्रुपों में द्वितीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांकों/उत्तीर्णांकों (जो भी अधिक हो) का औसत अंक प्रथम वर्ष के लिए भी स्वीकार किया जाय।

बी0एस–सी0 (कृषि) भाग एक (द्वितीय सेमेस्टर) परीक्षा वर्ष–2020

द्वितीय सेमेस्टर वर्ष–2020 की परीक्षा अभी सम्पन्न नहीं हुई है तथा शासन के निर्देशानुसार अब आयोजित नहीं होगी। ऐसी स्थिति में द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षाफल विगत (प्रथम) सेमेस्टर के उत्तीर्ण विषयों/प्रश्नपत्रों के प्राप्तांकों के औसत अंक के अनुसार घोषित किया जाय।

बी0एस–सी0 (कृषि) भाग दो वार्षिक परीक्षा वर्ष–2020

1. जिन विषयों/प्रश्नपत्रों की परीक्षाएं सम्पन्न हो गयी हैं उनकी उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराकर छात्र/छात्राओं को उनके प्राप्तांक प्रदान कर दिये जायेगें।
2. द्वितीय वर्ष के ऐसे छात्र/छात्राओं जिनके कुछ विषयों/प्रश्नपत्रों की परीक्षा नहीं हो सकी है, उनके अंकपत्र में परीक्षा न होने वाले विषयों/प्रश्नपत्रों के विगत (प्रथम) वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण किए गये समस्त सैद्धान्तिक विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक उसके द्वितीय वर्ष–2020 के अवशेष संगत विषय/प्रश्नपत्रों (जिसमें परीक्षा सम्पन्न नहीं हुई है) का प्राप्तांक माने जायेगें।
3. प्रायोगिक विषयों में प्रथम वर्ष की सम्बन्धित विषय की प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांक/उत्तीर्णांक को ही (जो भी अधिक हो) द्वितीय वर्ष के लिए भी संगत विषय/प्रश्नपत्र/ग्रुप के प्रायोगिक परीक्षा का प्राप्तांक माने जायेगें।

बी0एस–सी0 (कृषि) भाग तीन वार्षिक परीक्षा वर्ष–2020

1. जिन विषयों/प्रश्नपत्रों की परीक्षाएं सम्पन्न हो गयी हैं उनकी उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराकर छात्र/छात्राओं को उनके प्राप्तांक प्रदान कर दिये जायेगें।
2. तृतीय वर्ष के ऐसे छात्र/छात्राओं जिनके कुछ विषयों/प्रश्नपत्रों की परीक्षा नहीं हो सकी है, उनके अंकपत्र में परीक्षा न होने वाले विषयों/प्रश्नपत्रों के गत द्वितीय वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण किए गये समस्त सैद्धान्तिक विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक उसके तृतीय वर्ष–2020 के अवशेष विषय/प्रश्नपत्रों (जिसमें परीक्षा सम्पन्न नहीं हुई है के प्राप्तांक के रूप में स्वीकार कर अंकित किये जायेगें।
3. प्रायोगिक विषय/प्रश्नपत्र/ग्रुप में द्वितीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांकों/उत्तीर्णांकों (जो भी अधिक हो) का औसत अंक तृतीय वर्ष के लिए भी स्वीकार किये जायेगें।

बी0एस–सी0 (कृषि) भाग चतुर्थ (अंतिम वर्ष)–2020

बी0एस–सी0 (कृषि) अंतिम वर्ष की परीक्षाएं शासन के निर्देशानुसार आयोजित की जायेगी।

एलएल–बी0 (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम–2020

1. एलएल–बी0 द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा वर्ष–2020 का परीक्षाफल प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के उत्तीर्ण प्रश्नपत्रों/ट्यूटोरियल के प्राप्तांकों के औसत अंक के अनुसार तैयार किये जायेंगें। परीक्षार्थियों के औसत अंक निर्धारण हेतु सैद्धान्तिक एवं टयूटोरियल के प्राप्तांक अलग–अलग लिए जायेगें।
2. एलएल–बी0 चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा वर्ष–2020 का परीक्षाफल तृतीय सेमेस्टर परीक्षा के उत्तीर्ण प्रश्नपत्रों/ट्यूटोरियल के प्राप्तांकों के औसत अंक के अनुसार तैयार किया जायेगा। परीक्षार्थियों के औसत अंक निर्धारण हेतु सैद्धान्तिक एवं टयूटोरियल के प्राप्तांक अलग–अलग लिए जायेंगें।
3. एलएल–बी0 षष्ठम् सेमेस्टर की वर्ष–2020 की लिखित एवं प्रयोगात्मक/मौखिकी परीक्षाएं शासन के निर्देशानुसार सम्पन्न करायी जायेगी।

बी0ए0 एलएल–बी0 (पंचवर्षीय) पाठ्यक्रम–2020

1. बी0ए0 एलएल–बी0 द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा वर्ष–2020 का परीक्षाफल प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के उत्तीर्ण प्रश्नपत्रों/ट्यूटोरियल के प्राप्तांकों के औसत अंक के अनुसार तैयार किया जायेगा। परीक्षार्थियों के औसत अंक निर्धारण हेतु सैद्धान्तिक एवं ट्यूटोरियल के प्राप्तांक अलग–अलग लिए जायेगें।
2. बी0ए0 एलएल–बी0 चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा वर्ष–2020 का परीक्षाफल सम्बन्धित छात्र/छात्राओं के तृतीय सेमेस्टर परीक्षा के उत्तीर्ण प्रश्नपत्रों/ट्यूटोरियल के प्राप्तांकों के औसत अंक के अनुसार तैयार किया जाय। परीक्षार्थियों के औसत अंक निर्धारण हेतु सैद्धान्तिक एवं टयूटोरियल के प्राप्तांक अलग–अलग लिए जायेगें।
3. उपर्युक्त नियमों के अनुसरण में चतुर्थ, षष्ठम् एवं आठवें सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जायेगा।
4. बी.ए.एलएल.बी. दशम् सेमेस्टर वर्ष 2020 की लिखित एवं प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा शासन के निर्देशानुसार सम्पन्न करायी जायेगी।

वार्षिक परीक्षा परास्नातक प्रथम वर्ष–2020 (एम0ए0/एम0एस0सी0/एम0काम0 प्रथम वर्ष)

1. जिन छात्र/छात्राओं के सभी प्रश्नपत्रों की परीक्षाएं सम्पन्न हो गयी हैं उनकी उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराकर परीक्षाफल तैयार किया जायेगा।
2. जिन छात्र/छात्राओं के किसी प्रश्नपत्र की परीक्षा नहीं हुई हैं, उन्हें प्रोन्नत कर दिया जायेगा।
3. ऐसे सभी प्रोन्नत छात्र/छात्राओं द्वारा द्वितीय वर्ष (वर्ष–2021) की परीक्षा में उत्तीर्ण किए गये प्रश्नपत्रों के प्राप्तांकों के औसत अंक को उसके प्रथम वर्ष के अवशेष (जिसमें परीक्षा सम्पन्न नहीं हुई है) प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक मानकर प्रथम वर्ष की अंकतालिका तैयार की जायेगी।
4. यदि कोई छात्र वर्ष–2021 में द्वितीय वर्ष में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह आगामी वर्ष की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में नियमानुसार सम्मिलित होगा, परन्तु उसके द्वारा इसी परीक्षा में उत्तीर्ण किए गये समस्त सैद्धान्तिक विषयों के प्राप्तांकों के औसत अंक को उसके प्रथम वर्ष के अवशेष विषय/प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक माने जायेगें।

वार्षिक परीक्षा परास्नातक द्वितीय वर्ष–2020 (एम0ए0/एम0एस–सी0/एम0काम0)

1. एम0ए0/एम0एस0सी0/एम0कॉम0 द्वितीय वर्ष की अवशेष परीक्षाएं शासन के निर्देशानुसार आयोजित की जायेगी।

एम0एस–सी0 (कृषि) प्रथम वर्ष–2020 (भूतपूर्व छात्र/छात्राएं)

1. प्रथम वर्ष के सभी छात्र/छात्राओं को प्रोन्नत कर दिया जाय। इन छात्र/छात्राओं को अभी कोई अंक प्रदान नहीं किये जायेगें।
2. ऐसे सभी प्रोन्नत छात्र/छात्राओं द्वारा द्वितीय वर्ष (वर्ष–2021) की परीक्षा में उत्तीर्ण किए गये समस्त उत्तीर्ण सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों के प्राप्तांकों के औसत को उसके प्रथम वर्ष के प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक मानकर प्रथम वर्ष की अंकतालिका तैयार की जायेगी।
3. यदि कोई छात्र वर्ष–2021 में द्वितीय वर्ष में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह आगामी वर्ष की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में नियमानुसार सम्मिलित होगा। परन्तु इसी परीक्षा में उसके परीक्षाफल के आधार पर सैद्धान्तिक विषयों के उत्तीर्ण विषय/प्रश्नपत्र के प्राप्तांकों के औसत अंक को उसके प्रथम वर्ष के अवशेष विषय/प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक माने जायेगें।
4. द्वितीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांकों/उत्तीर्णांकों (जो भी अधिक हो) का औसत अंक प्रथम वर्ष के लिए भी स्वीकार किया जायेगा।

बी0एड0 प्रथम वर्ष–2020

1. सभी छात्र/छात्राओं का सम्बन्धित महाविद्यालय एवं विभाग से सैद्धान्तिक आन्तरिक मूल्यांकन के अंक प्राप्त कर लिए जाय तथा सैद्धान्तिक आन्तरिक मूल्यांकन के अंकों को अंकित करते हुए सभी छात्रों को प्रोन्नत कर दिये जायेगें। सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र एवं प्रायोगिक परीक्षा का अभी कोई अंक प्रदान नहीं किया जायेगा।
2. ऐसे सभी प्रथम वर्ष के प्रोन्नत छात्र/छात्राओं द्वारा नियमानुसार आगामी द्वितीय वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण किए गये समस्त उत्तीर्ण सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों एवं समस्त प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांकों/उत्तीर्णांकों के औसत अंक (अलग–अलग) को उसके प्रथम वर्ष के प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक मानकर प्रथम वर्ष की अंकतालिका तैयार की जायेगी।

बी0एड0 द्वितीय वर्ष–2020

बी0एड0 द्वितीय वर्ष–2020 की परीक्षाएं शासन के निर्देशानुसार सम्पन्न करायी जायेगी।

बी0पी0एड0 प्रथम वर्ष–(2019–21 बैच) परीक्षा सत्र 2020

1. सभी छात्र/छात्राओं का सम्बन्धित महाविद्यालय एवं विभाग से सैद्धान्तिक आन्तरिक मूल्यांकन के अंक प्राप्त कर लिए जाय तथा सैद्धान्तिक आन्तरिक मूल्यांकन के अंकों को अंकित करते हुए सभी छात्रों को प्रोन्नत कर दिया जाय। सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र एवं प्रायोगिक परीक्षा का अभी कोई अंक प्रदान न किया जाय।
2. ऐसे सभी प्रथम वर्ष के प्रोन्नत होने वाले छात्र/छात्राओं द्वारा नियमानुसार आगामी द्वितीय वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण किए गये समस्त उत्तीर्ण सैद्धान्तिक प्रश्नपत्रों एवं समस्त प्रायोगिक परीक्षा के प्राप्तांकों/उत्तीर्णांकों के औसत अंक (अलग–अलग) को उसके प्रथम वर्ष के प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक मानकर प्रथम वर्ष की अंकतालिका तैयार की जाय।

बी0पी0एड0 द्वितीय वर्ष– (2017–19 एवं 2018–20 बैच) परीक्षा सत्र 2020

बी0पी0एड0 द्वितीय वर्ष–2020 की परीक्षाएं शासन के निर्देशानुसार सम्पन्न करायी जायेगी।

एम0एड0 द्वितीय वर्ष–2020

एम0एड0 द्वितीय वर्ष–2020 की परीक्षाएं शासन के निर्देशानुसार सम्पन्न करायी जायेंगी।

इसके अतिरिक्त यदि कोई छात्र इस वर्ष परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह जाता है तो वह अगले वर्ष की सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा।

(परीक्षा नियंत्रक)

E-mail: upshec@gmail.com.
upsheclko@yahoo.com

Phone : 0522-2287025
Website : www.upshec.com

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद,

619, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ – 226001

पत्रांक 242 /रा0उ0शि0प0/53/19
दिनांक 16 जुलाई, 2020

सेवा में,

1– निदेशक,
उच्च शिक्षा,
प्रयागराज।

2– कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

विषयः–उच्च शिक्षा विभाग में सत्र 2019–2020 की अवशेष परीक्षाओं के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग–1 के शासनादेश दिनांक 19 जून, 2020 द्वारा गठित समिति द्वारा प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों की अवशेष परीक्षाओं के सम्बन्ध में संस्तुतियाँ उपलब्ध करायी गयी हैं, जिसके आधार पर एतद्द्वारा सुझाव संलग्न कर आपको प्रेषित किया जा रहा है ।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश स्थित कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा कुछ परीक्षायें सम्पन्न करा ली गयी है तथा परिणाम भी घोषित किए गए है तथा कतिपय अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा आंशिक परीक्षायें ही पूर्ण करायी गयी है एवं कुछ अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा अभी कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की गयी है। अतः कोविड–19 वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालयों का सत्र नियमित रहे एवं छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो, इस परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए कतिपय मार्गदर्शी गाइडलाइन एवं विकल्प आपको इस अनुरोध सहित प्रेषित की जा रही है कि कृपया विश्वविद्यालय की परिस्थितियां एवं छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये अपनी परिनियमावली के दृष्टिगत कार्यपरिषद/सक्षम प्राधिकारी के स्तर से सम्यक् विचार कर निर्णय लेने का कष्ट करें तथा परीक्षा के कार्यक्रम के साथ विश्वविद्यालय की कार्ययोजना उच्च शिक्षा विभाग एव परिषद को दिनांक 23 जुलाई, 2020 तक उपलब्ध करायें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,
16/7/2020
(डॉ0 आर.के.चतुर्वेदी)
अपर सचिव।

कोविड–19 के कारण उत्पन्न परिस्थिति में राज्य विश्वविद्यालयों की 2020 की अवशेष परीक्षाओं के सम्बन्ध में वैकल्पिक व्यवस्था के सम्बन्ध में सुझाव :–

यू0जी0सी0 तथा भारत सरकार के निर्देशों के कम में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं/परिणाम 2020–21 के सम्बन्ध में निम्नांकित दिशा–निर्देश दिए गए हैं :–

1– कोविड–19 के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत राज्य विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर को छोडकर अवशेष परीक्षाओं को स्थगित किया जायेगा।

2– कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा समस्त परीक्षाए लॉकडाउन से पूर्व सम्पन्न करा ली गयी थी तथा मूल्यांकन के पश्चात परिणाम भी जारी कर दिये गये हैं। वे परिणाम यथावत रहेंगे। इन परीक्षाओं पर वे नियम लागू रहेंगे, जो पहले से लागू थे।

3– कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न कक्षाओं की कुछ परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्व सम्पन्न कर ली गयी थीं। उनके मूल्यांकन करके उनके अंक अंतिम परिणाम में सम्मिलित किये जायेंगे।

4– सभी संकायों के विभिन्न कक्षाओ के ऐसे छात्र जो लॉकडाउन/18 मार्च, 2020 के पूर्व सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न करायी गयी परीक्षा के प्रश्न–पत्रों के मूल्यांकन के आधार पर अपनी कक्षा के प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक उत्तीर्ण की है अथवा बैक पेपर के लिये अर्ह हैं, उन्हें अगले वर्ष/अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत कर दिया जायेगा तथा उनकी अवशेष परीक्षाएं स्थगित रहेंगी। ऐसे छात्र, जो पूर्व में सम्पादित इस परीक्षा के अपूर्ण परिणाम के आधार पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय के नियमानुसार बैक पेपर के लिये भी अर्ह नहीं हैं तथा अनुत्तीर्ण है, उनको वर्ष 2020 की परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जायेगा।

5– निम्न प्रस्तरों में उल्लिखित व्यवस्था 2019–20 की केवल अवशेष परीक्षाओं के लिए लागू होगी।

6– **अंतिम सेमेस्टर/अन्तिम वर्ष की परीक्षा (2019–20) –**

- कोविड–19 महामारी से बचाव के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल/दिशा–निर्देश का अनुपालन करते हुए सितंबर, 2020 के अन्त तक ऑफलाइन (पेन और पेपर)/ऑनलाइन/मिश्रित (ऑनलाइन+ऑफलाइन) विधा से अवशेष परीक्षायें सम्पन्न करायी जायें। स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाए 30 सितम्बर तक सम्पन्न कराकर स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम 15 अक्टूबर तक तथा स्नातकोत्तर अन्तिम वर्ष का परीक्षा परिणाम 31 अक्टूबर तक घोषित किये जायें।
- **परीक्षा के लिए विशेष अवसर का प्राविधान–**

किन्हीं कारणोवश यदि काई छात्र अंतिम सेमेस्टर/अन्तिम वर्ष की विश्वविद्यालय की

परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो इस दशा में छात्र को उस कोर्स/प्रश्नपत्र के विशेष परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अवसर दिया जा सकता है जो विश्वविद्यालय की सुविधानुसार आयोजित किया जा सकेगा जिससे छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा/क्षति न हो। उपर्युक्त प्राविधान चालू शैक्षणिक सत्र 2019–20 के लिए केवल एक बार लागू होगा।

- **अंतिम सेमेस्टर/अन्तिम वर्ष के छात्रों हेतु प्रश्नपत्रों का बैकलाग–**

  अंतिम सेमेस्टर/अन्तिम वर्ष में बैकलाग के अन्तर्गत आने वाले छात्रों को ऑफलाइन (पेन और पेपर)/ऑनलाइन/मिश्रित (ऑनलाइन+ऑफलाइन) मोड के आधार पर व्यवहारिकता/ उपयुक्तता के दृष्टिगत अनिवार्य रूप से परीक्षायें सम्पन्न करायी जाय।

7– **प्रथम वर्ष/द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा (2019–20)–**

विकल्प 1– प्रथम वर्ष के छात्रों के परिणाम (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति के अनुसार) शत–प्रतिशत आन्तरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किये जायें।

अथवा

विकल्प 2– (समिति की संस्तुतियों के अनुसार)

i अ– समस्त संकायों के प्रथम वर्ष के ऐसे छात्र जो उपरोक्त प्रस्तर 4 की व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नत किये जाते हैं, वे छात्र 2020–21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होगें तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत यदि ये सभी विषयों में पृथक–पृथक उत्तीर्ण पाये जाते है, तो इसके द्वितीय वर्ष के समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उसके प्रथम वर्ष के उन अवशेष विषय/विषयों/प्रश्नपत्र/प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक माना जायेगा जिनमें 2020 में परीक्षा सम्पादित नहीं हो सकी।

ब–समस्त संकायों के द्वितीय सेमेस्टर के ऐसे छात्र जो उपरोक्त प्रस्तर 4 की व्यवस्था के अनुसार प्रोन्नत किये जाते है, उनके प्रथम सेमेस्टर दिसम्बर, 2019 के समस्त विषयो के प्राप्तांको का औसत अंक ही उसके द्वितीय सेमेस्टर, जिनमें 2020 में परीक्षा सम्पादित नहीं हो सकी, के अवशेष विषय/विषयों/प्रश्नपत्र/ प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक माना जायेगा।

ii- परन्तु यदि 2021 में द्वितीय वर्ष/चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने वाला छात्र कुछ विषय/विषयों में पृथक–पृथक उत्तीर्ण होते हुये बैक पेपर/इम्प्रूवमेंट परीक्षा के अर्ह पाया जाता है, तो इस छात्र द्वारा उत्तीर्ण किये गये समस्त विषयों के प्राप्तांकों का औसत अंक ही उसके प्रथम वर्ष/द्वितीय सेमेस्टर के उन विषयों का प्रातांक माना जायेगा जिनमें परीक्षा 2020 में सम्पादित नहीं हो सकी।

iii- यदि कोई छात्र 2021 में द्वितीय वर्ष में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह 2022 में इस परीक्षा में पुनः सम्मिलित होगा तथा इस परीक्षा में उसके द्वितीय वर्ष के परिणाम के आधार पर ही उपरोक्त i अ के अनुसार उसके प्रथम वर्ष 2020 के उन अवशेश विषय/विषयों/ प्रश्नपत्र/प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक माना जायेगा, जिनमें 2020 में परीक्षा सम्पादित नहीं हो सकी।

विश्वविद्यालय अपनी परिस्थितियों के अनुरूप उक्त विकल्पों पर विचार करके यथोचित निर्णय लेंगे।

8– **इण्टरमीडिएट कक्षाओं की परीक्षा (जहां तीन/चार/पांच वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित है, उनके प्रथम एवं अंतिम वर्ष को छोड़कर)–**

विकल्प 1– इण्टरमीडिएट कक्षाओं के छात्रों की सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार) 50 प्रतिशत विगत परीक्षा परिणामों के आधार पर तथा 50 प्रतिशत आन्तरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया जाय।

अथवा

विकल्प 2– समस्त संकायों के द्वितीय वर्ष/चतुर्थ समेस्टर के ऐसे छात्र जो उपरोक्त प्रस्तर–4 में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार तृतीय वर्ष/पंचम सेमेस्टर में प्रोन्नत किये जाते हैं, ऐसे छात्रों के प्रथम वर्ष (2019)/प्रथम–तृतीय (सभी तीन) सेमेस्टर के सभी विषयों के प्राप्तांको का औसत अंक उनके द्वितीय वर्ष (2020)/चतुर्थ सेमेस्टर (2020) के उन अवशेष विषय/विषयों/ प्रश्नपत्र/ प्रश्नपत्रों का प्राप्तांक माना जायेगा जिनमें 2020 में परीक्षा सम्पादित नहीं हो सकी। (समिति की संस्तुतियों के अनुसार)

उपर्युक्त विकल्पों पर विचार करते हुये विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी परिस्थितियों के अनुरूप यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

- अन्य समस्त पारम्परिक पाठ्यक्रम, जिनमें पाठ्यक्रम की कुल अवधि तीन वर्ष/छः सेमेस्टर से अधिक हों, उनमें भी इसी व्यवस्था के आधार पर कियान्वयन विश्वविद्यालयों के स्तर पर किया जायेगा।

9– प्रथम एवं अन्तिम वर्ष सहित सभी वर्षों के ऐसे छात्र जो 2021 की परीक्षा के परिणाम के आधार पर निर्धारित किये जाने वाले 2020 की अवशेष परीक्षाओं के परिणाम से संतुष्ट नहीं होगें, वे 2021 में आयोजित होने वाली बैक पेपर परीक्षा/2021–22 में आयोजित होने वाली वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा के उन समस्त/किसी भी विषय में सम्मिलित होकर अपने अंकों में सुधार करने के अवसर प्राप्त कर सकेंगें।

10– उपरोक्त दिशा–निर्देश विश्वविद्यालयों में संचालित कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि एवं कृषि विषयों के स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों के संदर्भ में है अभियंत्रण एवं प्रबन्धन के स्नातक/परास्नातक पाठ्यक्रमों के संदर्भ प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।

11– कोविड–19 वैश्विक महामारी को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालयों का सत्र नियमित रहे एवं छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो, इस परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए सभी विश्वविद्यालयों से यह अपेक्षा की गयी है कि विश्वविद्यालय उक्त मार्गदर्शी गाइडलाइन विकल्पों को ध्यान में रखते हुये अपनी परिनियमावलियों एवं अपने छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप अपने कार्य परिषद/सक्षम प्राधिकारी के स्तर से सम्यक् विचार कर निर्णय लेकर परीक्षा के कार्यक्रम के साथ अपनी कार्ययोजना शासन को दिनांक 23 जुलाई, 2020 तक प्रेषित करेंगे।